समाहरणालय, खगड़िया

(जिला जनगणना कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

खगड़िया जिले में जनगणना 2027 के लिए आवश्यक जनशक्ति (Manpower) को आउटसोर्सिंग के आधार पर रखने हेतु तकनीकी/सामान्य एवं वित्तीय निविदा के नियम एवं शर्तें

प्रपत्र मूल्य–200/–(दो सौ) रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

आगामी जनगणना–2027 के लिए CENSUS OF INDIA-2027 के परिपत्र संख्या–7 के कंडिका संख्या–3.5 पर उल्लेखित दिशा–निर्देश के अनुसार खगड़िया जिले में मार्च 2026 से जून 2027 की अवधि के लिए 15 (पंद्रह) तकनीकी सहायकों और 01 (एक) एमटीएस की आपूर्ति हेतु अनुभवी एवं इच्छुक पंजीकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों/फर्मों से निर्धारित प्रारूप में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। आवश्यक जनशक्ति (Manpower) का विवरण एवं मानदेय इस प्रकार है :–

क्र०	प्रशासनिक इकाई	कर्मियों की आवश्यकता (जून 2027 तक)	शैक्षणिक योग्यता	प्रतिमाह निर्धारित मानदेय
1	जिला स्तर	02 तकनीकी सहायक (Technical Assistant)	किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण (MS Word, Excel, Powerpoint, Internet इत्यादि में दक्ष) तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 WPM (Correct Words) या अंगेजी टाईपिंग 30 WPM (Correct Words)का अनुभव	25000.00 प्रति कर्मी
2	ग्रामीण/शहरी चार्ज स्तर	13 तकनीकी सहायक (Technical Assistant)		25000.00 प्रति कर्मी
3	जिला स्तर	01 एमटीएस (Multi Tasking Staff)	12वीं अथवा समकक्ष पास कार्यालय कार्य करने में दक्ष	18000.00 प्रति कर्मी

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला जनगणना कोषांग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया से संपर्क किया जा सकता है। निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व 18 मार्च 2026 तक 200/– (दो सौ) रूपये का नाजिर रसीद जिला नजारत शाखा, खगड़िया से कटाकर जिला जनगणना कोषांग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया से प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि वापस नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निविदा प्रपत्र लेना चाहेंगें तो अलग–अलग नाजिर रसीद कटाना होगा। निविदा देने की अंतिम तिथि 19.03.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है। निविदा जिला पदाधिकारी–सह–प्रधान जनगणना अधिकारी, खगड़िया के पदनाम से मुहरबंद लिफाफे में जिला जनगणना कोषांग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा।

निविदा दिनांक 20.03.2026 को अपराह्न 04:00 बजे खगड़िया समाहरणालय के संवाद कक्ष में जिला निविदा निष्पादन समिति के समक्ष खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा के मुहरबंद लिफाफे खोले जाएगे तथा सक्षम पाये गये फर्मों का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। जिला निविदा निष्पादन समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि मूल कागजातों के साथ उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में निविदा निष्पादन की अगली तिथि जिला निष्पादन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी खगड़िया जिला के बेवसाइट www.khagaria.nic.in पर उपलब्ध है।

सामान्य शर्त्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक बड़े लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा। खुले लिफाफे में डाले गये निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. निविदा के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी कागजात मुहरबंद लिफाफे में हीं स्वीकार किये जायेंगे। बाद में अलग से किसी भी प्रकार का कागजात जमा करने का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।
4. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किए जाने पर विचार नही किया जाएगा।
5. चयनित निविदादाता को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
6. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने तथा कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला पदाधिकारी–सह–प्रधान जनगणना अधिकारी, खगड़िया के पास सुरक्षित रहेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में रखते हुए पुनः उसे एक बड़े लिफाफे में रख कर लिफाफा को सीलबंद कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा या जिला जनगणना कोषांग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर हस्तगत कराया जा सकता है।
2. निविदादाता एजेंसी/फर्म को Bihar Shop & Establishment Act अथवा उद्योग आधार अथवा Company Act के अन्तर्गत निबंधित संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा में जनगणना एवं NPR कार्य अनुभव रखने वाले एजेंसी/फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। इस से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता एजेंसी/फर्म का पिछले 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रूपये से कम नहीं होना चाहिए का ऑडिटर बैलेंस शीट यू0डी0आई0एन0 नम्बर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कार्यादेश के पश्चात् सभी संबंधित कर्मियों की सेवा जिला जनगणना कोषांग, जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया में निर्धारित तिथि को उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदादाता एजेंसी/फर्म का बैंक खाता, संचालकों का नाम एवं पूर्ण पता की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता एजेंसी/फर्म को निविदा के साथ माल एवं सेवाकर (GST) निबंधन प्रमाण–पत्र बिहार में होना चाहिए एवं दिसम्बर, 2025 का G.S.T रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता एजेंसी/फर्म को ई.एस.आई और ई.पी.एफ. निबंधन एवं विगत तीन वर्षों के भुगतान संबंधी विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. पैन कार्ड एवं विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित उपलब्ध कराये गये विपत्रों का भुगतान आवंटन उपलब्ध हो जाने पर की जाएगी। विलम्ब की स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (ब्याज) देय नहीं होगा।
11. निविदादाता फर्म को बिहार राज्य के विभागों/कार्यालयों में जनशक्ति (Manpower) आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही इस आशय का स्वघोषित शपथ–पत्र देना होगा कि निविदा की सभी शर्तें मंजूर है।
12. एक व्यक्ति/फर्म एक से अधिक निविदा दे सकते हैं, किन्तु कोटिवार/प्रपत्रवार के लिए अग्रधन राशि जमा करनी होगी।
13. निविदादाता एजेंसी/फर्म के अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारी/कर्मी सरकारी नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार का हड़ताल/आन्दोलन नहीं करेंगे।

14. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने तथा कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला पदाधिकारी–सह–प्रधान जनगणना अधिकारी, खगड़िया के पास सुरक्षित रहेगा।
15. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों पर निविदादाता का हस्ताक्षर मुहर के साथ करना अनिवार्य होगा। मुहर के साथ हस्ताक्षर नही रहने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
16. सब कॉन्ट्रेक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नही गिना जाएगा एवं सब–कॉन्ट्रेक्ट अन्तर्गत किया गया कार्य अमान्य होगा।
17. तकनीकी/सामान्य निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 25000/– (पच्चीस हजार) रूपये राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद (मूलप्रति) जिला पदाधिकारी–सह–प्रधान जनगणना अधिकारी, खगड़िया के पक्ष में समर्पित करना होगा, जो खगड़िया में भुगतेय हो।
18. निविदादाता द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र Annexure-I में उपलब्ध कराये जाने वाले तकनीकी सहायक एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ का ब्यौरा तकनीकी लिफाफा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।
19. चयनित एजेंसी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी सहायक की शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण (MS Word, Excel, Powerpoint, Internet इत्यादि में दक्ष) तथा हिन्दी या अंगेजी टाईपिंग का अनुभव और एक वर्ष का कम्प्यूटर कोर्स प्रमाण–पत्र, कम्प्यूटर टाईपिंग और डाटा इन्ट्री से संबंधी योग्यता होना चाहिए। एमटीएस की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इन्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका उल्लेख Annexure-I में करना अनिवार्य होगा।
20. Annexure-I में उल्लेखित तकनीकी सहायक एवं एम0टी0एस0 का वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र तकनीकी लिफाफा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. Annexure-I में कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध नही कराने पर निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
22. निविदादाता को अपने एजेंसी/फर्म के किसी भी स्तर से काली सूची (Blacklisted) में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. जनगणना 2027 कार्यों के सुचारू एवं समयवद्ध निष्पादन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी जनशक्ति (Manpower) के रूप में खगड़िया जिला में स्थित कार्यस्थल क्षेत्रों के निवासियों को चयन करना बेहतर होगा।
24. चयनित एजेंसी/फर्म के स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कार्यानुभव/अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यता की जिम्मेवारी अधोहस्ताक्षरी की नहीं होगी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्य करने वाले कर्मियों के कारण कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सारी जिम्मेवारी एजेंसी/फर्म को होगी।
25. चयनित एजेंसी/फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कार्यानुभव/आवासीय प्रमाण पत्र/उम्र प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मोबाईल नं0 तथा अन्य कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी लिफाफा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि कर्मी जनगणना 2027 के डिजिटल अनुप्रयोगों और अन्य संबंधित कार्यों को संभालने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य हों।
27. निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि इस जनशक्ति (Manpower) की नियुक्ति पूरी तरह से अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगी।
28. नियुक्त जनशक्ति (Manpower) नियमितीकरण या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे, अधिकार, हित या अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे, जिसमें सरकार में किसी भी प्रकार की आकस्मिक, तदर्थ, अस्थायी या नियमित सेवा के लिए दावे शामिल है।
29. ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. आदि जैसी वैधानिक कटौतियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला/प्रभार स्तरीय अधिकारियों की होगी।

30. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो दिये गये आदेश में अंकित तिथि तक जनशक्ति (Manpower) आपूर्ति नहीं करने पर उनका कार्यादेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
31. चयनित एजेंसी/फर्म के किसी कर्मी के आकस्मिक दुर्घटना, फौजदारी मामला में संलिप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और न किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
32. चयनित एजेंसी/फर्म के तहत कार्यरत कर्मियों का प्रतिमाह कार्य सम्पादन का अनुपस्थिति विवरणी संबंधित प्रतिनियुक्त कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात् अनुपस्थिति विवरणी एवं संतोषप्रद कार्य पाये जाने पर विपत्र के आधार पर उपलब्ध आवंटन एवं एकरारनामा के आलोक में एजेंसी/फर्म को भुगतान किया जायेगा।
33. एजेंसी को भुगतान प्राप्त होने पर 03 (तीन) कार्यदिवस के अंदर कार्यरत कर्मियों के बैंक खाता में RTGS के माध्यम से मानदेय का भुगतान करना होगा।
34. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर निविदा में चयनित एजेंसी/फर्म को खगड़िया जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/चार्जों में कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।
35. बिहार सरकार/जनगणना कार्य निदेशालय से भविष्य में किसी प्रकार का दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसे लागू करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
36. एजेंसी/फर्म के तहत कर्मियों के मानदेय का भुगतान बैंक Account के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए।
37. चयनित एजेंसी/फर्म को एक सप्ताह के अंदर उपरोक्त शर्त्तों के संबंध में एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।
38. किसी भी प्रकार के विवाद का निष्पादन व्यवहार न्यायालय, खगड़िया के क्षेत्राधिकार में होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
2. आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।
3. उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा की उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
4. निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से या एजेंसी/फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता के आधार पर निविदा का निष्पादन किया जाएगा।
5. सेवा शुल्क एवं संव्यवहार शुल्क को विहित प्रपत्र Annexure-II में अंकित करते हुए मुहरबंद वित्तीय लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

6/3/26

जिला पदाधिकारी
-सह-
प्रधान जनगणना अधिकारी,
खगड़िया।

जिला जनगणना कोषांग

जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया।

Annexure-I

कर्मियों की विवरणी (तकनीकी लिफाफे में डालने हेतु)

Sl No.	Name	Addrss	Aadhar No.	Qualification

हस्ताक्षर

प्रोपराईटर/प्रवंधक निदेशक/प्राधिकृत व्यक्ति

मुहर के साथ

जिला जनगणना कोषांग

जिला सांख्यिकी कार्यालय, खगड़िया।

Annexure-II

वित्तीय निविदा (वित्तीय लिफाफे में डालने हेतु)

सेवा शुल्क :–	% में
संव्यवहार शुल्क :–	% में
	हस्ताक्षर प्रोपराईटर / प्रबंधक निदेशक / प्राधिकृत व्यक्ति मुहर के साथ